


कार्यालय-पटवार मण्डल बडगाँव भीण्डर -उदयपुर
राजस्थान

मिलान खसरा


महावीर जैन विद्यालय संस्थान -बंडगाँव भीण्डर

| क.स | पुराने आराजी नम्बर | नये आराजी नम्बर | कुल भूमि | संस्थान के नाम शैक्षणिक भूमि |
|-----|--------------------|-----------------|-----------------|---|
| 1 | 554/1मीन | 1013 | 5 बीगा | 3710/1013 - 2.5 विस्वा यानि 4900वर्गमीटर शैक्षणिक |
| 2 | 554 /मीन | 1009 | 5 बिगा 5 विस्वा | 3660/1009 व 3663/1009 यानि 2 बिगा 2 विस्वा शैक्षणिक यानि 4520 मीटर शैक्षणिक |

संस्थान के नाम कुल शैक्षणिक भूमी 4900 मी. व 4520मी.कुल 9420 वर्गमीटर भूमि


हस्ताक्षर प्रमाणित
पटवार मण्डल, जि.-उदयपुर
तह.-भीण्डर, जि.-उदयपुर

राजस्थान राज्य सरकार के प.-ह. क.स. गौतम में शक्ति
दुपारतकाल कोडेश [SDM Office Bhinder
Certificate Act No. PCC/2023-24/113161] से आया है. 3710/1013 कुल रकबा
4900 वर्ग मीटर से 4900 वर्ग मीटर आया है। ये
शैक्षणिक क्षेत्र कोडेश के 342000 आधिकारी
अनुमति के कोडेश संज्ञा: सं.प./श.स./2021/994
दिनांक 26-08-2021 से आया है. 3661/1009 रकबा
0.2260 है व 3663/1009 रकबा 0.2260 है.
कुल भूमि - 02 कुल रकबा 0.4520 है. शक्ति शैक्षणिक
अनुमति के कोडेश संज्ञा: सं.प./श.स./2021/994


पटवार मण्डल, जि.-उदयपुर
तह.-भीण्डर, जि.-उदयपुर



GOVERNMENT OF RAJASTHAN
REVENUE DEPARTMENT

Certificate Ref. No: PCCL/2023-24/113161

Date: 08-02-2024

FORM-D

[See Rule 10(4)]

Office of Prescribed Authority: SUB DIVISIONAL OFFICER, BHINDER (UDAIPUR)

REVISED CONVERSION ORDER

On the application of MAHAVEER JAIN VIDHYALAY SANSTHAN SANCHALAK HIMMATLAL S/O DEVILAL VAYA of village BARGAON Tehsil BHINDER, the agricultural land already converted for a non-agricultural purpose is here by converted for revised non-agriculture purpose under rule 10(4) of the Rajasthan Land Revenue (Conversion of Agricultural Land for Non-Agricultural in Rural Areas) Rules, 2007, the particulars of which are given as under:

| S.No. | Name of Applicant Khatedar/Tenants: | Father's/ Husabnd's Name: | Social Category (SC/ST/GEN/OBC/etc..) | Complete Address |
|-------|--|------------------------------|--|--|
| 1 | MAHAVEER JAIN VIDHYALAY SANSTHAN SANCHALAK HIMMATLAL | DEVILAL VAYA | GENERAL | NEAR JAIN TEMPLE 143 TEGOR NAGAR H.M. SEC. 4 UDAIPUR |

1. Purpose of original conversion: **RESIDENTIAL UNIT**
Number and Date of the order: **535-39, 4/24/2012**
2. Revised Purpose of conversion: **INSTITUTIONAL PURPOSE & MEDICAL FACILITIES**
3. Conversion type (Sub Category): **EDUCATIONAL PURPOSE**
4. Details of the Land converted:
 - (a) Name of the District/ Tehsil/ Village : **UDAIPUR/ BHINDER/ BARGAON**
 - (b) Khasra No. of the land : **3710/1013**
 - (c) Area of each Khasra No. (in square meter): **4900**
 - (d) Area converted of each Khasra No. (in square meter): **4900**
 - (e) Area converted (in sq. meter): **4900**
5. Rate of conversion payable on original conversion (₹): **8/-**
6. Amount of premium deposited with original conversion (₹): **36465/-**
7. Rate of conversion charges payable on revised conversion(₹): **17.82/-**
8. Amount of premium deposited (₹) with revised conversion, date and no. of challan: **50877/-, 08/02/2024, 24588813236**
9. Amount of penalty deposited (₹), if any, with date and no. of challan: **152629/-, 08/02/2024, 24588813236**
10. Amount of interest deposited (₹), if any, with date and no. of challan: **0/-**



Digitally Signed by Parwat Singh Chundawat
Designation : SUB DIVISIONAL OFFICER
BHINDER
Date: 2024.02.08 17:43:12 IST
Reason: Approved
Location: UDAIPUR

Note: This is a digitally signed certificate and does not require any physical signature.

Terms and Conditions

The above conversion order shall be subject to the following conditions: -

- i. The land converted for the above non-agricultural purpose shall not be used for any other non-agricultural purpose. without obtaining prior permission of the Prescribed Authority.
- ii. If the applicant fails to use the land for the revised converted purpose within a period of 2 years from the date of issue order, money deposited by the applicant shall be forfeited.
- iii. No land as mentioned in rule 4 shall be used for any non-agricultural purpose.
- iv. No part of the land converted for public utility purpose shall be used for any other non-agricultural purpose without valid permission from the Prescribed Authority.
- v. According of IRC norms land comes between the center point of road and distance given under the IRC guidelines respectively are not permitted for conversion Permission of constructions activities between building line and control line should be taken from the related competent authority

Copy to:-

- 1. Tehsildar Bhinder for necessary action
- 2. Applicant Mahaveer Jain Vidhyalay Sansthan sanchalak Himmat lal for information
- 3. TRA for Demand note
- 4. Office copy



Note: This is a digitally signed certificate and does not require any physical signature.

प्ररूप-घ

(देखिये नियम 10 (4))

कार्यालय विहित प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) वल्लभनगर, (जिला-उदयपुर)

क्रमांक : राज./भू.र./2021/954

दिनांक: 26.08.2021

-: पुनरीक्षित संपरिवर्तन आदेश :-

आवेदक महावीर जैन विद्यालय संस्थान 940, सेक्टर नम्बर 4, हिरण मंगरी, उदयपुर जरिये संस्थापक संचालक श्री हिम्मतलाल पिता देवीलाल वया साकिम उदयपुर के आवेदन पर पहले से अकृषिक (आवासीय) प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 10 (4) के अधीन इसके द्वारा पुनरीक्षित अकृषिक (शैक्षणिक) प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियाँ निम्नानुसार है :-

| | | |
|--|--|--|
| 1. | आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, | महावीर जैन विद्यालय संस्थान, 940, सेक्टर नम्बर 4, हिरण मंगरी, उदयपुर जरिये संस्थापक संचालक श्री हिम्मतलाल वया |
| 2 | आधार संख्या | xxxxxxx7079 |
| 3 | भामाशाह संख्या | ----- |
| 4 | पिता का नाम | देवीलाल वया |
| 5 | पता मय मोबाईल नम्बर | 940, सेक्टर नम्बर 4, हिरण मंगरी, उदयपुर 9414168838 |
| 6 | Email ID (if any) | mjvsgroup@gmail.com |
| 7 | क्या आवेदक अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का सदस्य है | नही |
| 8 | आदेश की संख्या और तारीख उपदर्शित करते हुए मूल संपरिवर्तन का प्रयोजन | क्रमांक एफ 4()राज/बी/भू.र./ग्रा/07/141/11 दिनांक 28.12.11 एवं एफ 4()राज/बी/भू.र./ग्रा/07/143/11 दिनांक 28.12.11 आवासीय प्रयोजनार्थ |
| 9 | संपरिवर्तन का पुनरीक्षित प्रयोजन | शैक्षणिक प्रयोजनार्थ |
| 10 | संपरिवर्तित भूमि का ब्योरा:- | |
| | (क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम | बड़गांव/ बड़गांव/भीण्डर |
| | (ख) भूमि की खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का कुल क्षेत्रफल (बीघा में) | आराजी नम्बर 3661/1009 रकबा 0.2260 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 3663/1009 रकबा 0.2260 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.4520 हैक्टेयर यानि 4520 वर्गमीटर |
| | (ग) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुये संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हैक्टेयर में या वर्गमीटर में) | आराजी नम्बर 3661/1009 रकबा 0.2260 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 3663/1009 रकबा 0.2260 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.4520 हैक्टेयर यानि 4520 वर्गमीटर |
| (टिप्पणी :- पुनरीक्षित अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए, राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित, प्रति संलग्न है) | | |
| 11 | मूल संपरिवर्तन पर संदेय संपरिवर्तन दर | 5/- रु. प्रति वर्गमीटर |
| 12 | मूल आवेदन के साथ जमा कराई गई प्रीमियम की रकम, चालान की संख्या और तारीख सहित | चालान नम्बर 323 दिनांक 12.12.2011 से 11345 रु. एवं चालान नम्बर 325 दिनांक 12.12.2011 से 11345 रु. कुल 22690/- रुपये |
| 13 | पुनरीक्षित संपरिवर्तन पर संदेय संपरिवर्तन दर | डी.एल.सी. 349313 रु. प्रति बीघा से मालियत का 10 प्रतिशत। (राशि 73098/- रु.) |
| 14 | चालान की संख्या और तारीख सहित, संपरिवर्तन प्रभारों के अन्तर की जमा कराई गई रकम | चालान नम्बर 353 दिनांक 14.01.2016 से 45380/- रुपये एवं चालान नम्बर जीआरएन : 0052755616 दिनांक 23.08.2021 से 5028/- रुपये |
| 15 | चालान की संख्या और तारीख सहित शास्ति, यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम | - |
| 16 | चालान की संख्या और तारीख सहित ब्याज, यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम | - |
| 17 | अन्य विशिष्टियाँ यदि कोई हो | - |



(Signature)
उपखण्ड प्राधिकारी
वल्लभनगर

उपर्युक्त पुनरीक्षित संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन होगा :-

- 1- उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि का उपयोग, विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
- 2- यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 6 वर्ष की कालावधि के भीतर पुनरीक्षित संपरिवर्तित प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराई गई प्रीमियम धनराशि सगपहृत हो जायेगी।
- 3- नियम 4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
- 4- लोकोपयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जाएगा।
- 5- जिस प्रयोजनार्थ भूमि संपरिवर्तित की जा रही है, उसके लिए प्रार्थी को निर्माण कार्य करने से पूर्व संबंधित विभाग/ग्राम पंचायत से अनापत्ति/स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 6- प्रार्थी द्वारा संपरिवर्तित भूमि पर निर्माण कार्य से जल प्रवाह को बाधित नहीं किया जावेगा एवं प्रदूषण नियंत्रण के समुचित उपाय सुनिश्चित किये जायेंगे।
- 7- नियम 2007 के प्रावधानों के अन्तर्गत भविष्य में किसी प्रकार की राजस्व आदि देय होने पर आवेदक जमा कराने हेतु बाध्य होगा।
- 8- नियमों में निर्धारित सड़क मार्गाधिकार भारतीय रोड कांग्रेस के प्रावधानुसार सड़क के मध्य बिन्दु से आईआरसी नॉम्स के अनुसार भूमि को छोड़ते हुये निर्माण कार्य किया जा सकेगा।
- 9- नियम 19बी के अनुसार लेआउट प्लान व बिल्डिंग प्लान सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के पश्चात कार्य शुरू किया जावें।



(श्रवण सिंह राठी)

विहित प्राधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी वल्लमनगर)

सूचना/पालनार्थ

(1) बहामिन्दार भीण्डर को संपरिवर्तन आदेश राजस्व रेकार्ड में नियमानुसार अमलदरामद करने हेतु उपप्रेषित है।

(2) प्रार्थी महावीर जैन विद्यालय संस्थान 940, सेक्टर नम्बर 4, हिरण मंगरी, उदयपुर जरिये संस्थापक संचालक श्री हिम्मतलाल पिता देवीलाल वया साकिन उदयपुर।

(3) सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत बड़गांव।

विहित प्राधिकारी

(उपखण्ड अधिकारी वल्लमनगर)